बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

पत्रांक–डी०डी०–2–विविध–269/2010(पार्ट–III)........ पटना, दिनांक–................

प्रेषक,

सुधांशु शेखर राय,
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित),
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– राज्य के कारा/उपकारा/केन्द्रीय कारा के आधारभूत संरचनाओं के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण से संबंधित योजनाओं के संबंध में।

प्रसंग– आपका पत्रांक–9430(कारा), पटना, दिनांक–30.10.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में कहना है कि महानिरीक्षक कारा एवं सुधार सेवाएं बिहार, पटना द्वारा अनुरोध किया गया है कि राज्य के सभी कारा/उपकारा/केंन्द्रीय कारा के लिए बैरक/शौचालय/रसोईघर/कैदी गृह आदि आधारभूत संरचनाओं के निर्माण अथवा सुदृढ़ीकरण योजना के लिए विस्तृत एंव समेकित प्रस्ताव तैयार किया जाए।

अतः निदेशित किया जाता है कि सभी कारा/उपकारा/केंन्द्रीय कारा का सर्वेक्षण कर आवश्यतानुसार ईकाई वार योजना एवं प्राक्कलन तैयार कर विहित माध्यम से प्रशासी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु०:– यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/–
(सुधांशु शेखर राय)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– दिनांक–

प्रतिलिपिः– सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित), भवन अंचल, भवन निर्माण विभाग/कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित), भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– 9277 (भ) दिनांक– 13/11/23

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10-11-23

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

DMC-02

पत्रांक–कारा/भवन–03/2020..9430..

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)।

प्रेषक,

शीर्षत कपिल अशोक भा०प्र०से०
महानिरीक्षक
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना

सेवा में,

अधीक्षक
सभी केन्द्रीय कारा, मंडल कारा,
उपकारा एवं मुक्त कारागार।

पटना, दिनांक–..30../..10../2023

विषयः–राज्य के कारा/उपकारा/केन्द्रीय कारा के आधारभूत संरचनाओं के निमार्ण एवं सुदृढ़ीकरण से संबंधित योजनाओं के संबंध में।

प्रसंगः– सचिव, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) का पत्रांक–11828 दिनांक–29.09.2023।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि दिनांक–29.09.2023 को आयोजित लोक वित्त समिति की बैठक में कारा निरीक्षणालय के आधारभूत संरचना निर्माण से संबंधित प्रस्ताव पर विचार के क्रम में विकास आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा यह परामर्श दिया गया है कि बिहार राज्य के सभी कारा/उपकारा/केन्द्रीय कारा के लिए बैरक/शौचालय/रसोईघर/कैदी गृह आदि आधारभूत संरचनाओं के निर्माण अथवा सुदृढ़ीकरण योजना के लिए विस्तृत एवं समेकित रूप से प्रस्ताव तैयार कराया जाय। प्रस्ताव तैयार करने के लिए सभी कारा/उपकारा/केन्द्रीय कारा का सर्वेक्षण कराते हुए सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यकतानुसार ईकाईवार योजना एवं प्राक्कलन तैयार किया जाय।

2. उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि राज्य के काराओं में बैरक/शौचालय/रसोईघर/कैदी गृह आदि आधारभूत संरचनाओं के निर्माण अथवा सुदृढ़ीकरण योजना के लिए कारा का सर्वेक्षण कार्य संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग से कराते हुए योजनावार प्रतिवेदन तैयार कर कारा निरीक्षणालय को उपलब्ध कराया जाय ताकि निरीक्षणालय स्तर पर समेकित रूप से योजनावार प्रतिवेदन तैयार कर सक्षम प्राधिकार के समक्ष उपस्थापित किया जा सके।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
25/10/2023

महानिरीक्षक
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा/भवन–03/2020..9430 पटना, दिनांक–30/10/2023

प्रतिलिपिः–सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/10/2023

महानिरीक्षक
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

DMC 3413 09/11/23

DDI दिग्विजय झा (AD) 9.11.23

अभियंता प्रमुख
भवन निर्माण विभाग

D:\2022\Letter Ind\2022\letter to All jail superintendent 25.10.2023 doc